प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक** 25 **अप्रैल**, **2025**

विषय:- मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद झांसी के विकास खण्ड स्थित लहर की देवी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य परियोजना को निरस्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 के पत्र सं0-140363/मु0प0वि0स0यो0/झांसी/सी0एन0-102282/ 2023, दिनांक 08.04.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद झांसी के विकास खण्ड स्थित लहर की देवी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य परियोजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना' के अन्तर्गत जनपद झांसी के विकास खण्ड स्थित लहर की देवी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–315/ 2024/842/41-1-2024-CN-1797055-2024, दिनांक 11 मार्च, 2024 को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3- प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या–315/ 2024/842/41-1-2024-CN-1797055-2024, दिनांक 11 मार्च, 2024 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू0 0.75 लाख एवं शासनादेश संख्या- 662/ 2024/41-1-2024-CN-1797055-2024, दिनांक 18.07.2024 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू0 15.00 लाख, कुल रू0 15.75 लाख (रू0 पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) को मय ब्याज सहित 03 दिन के अन्दर राजकोष में जमा कराकर उसकी सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग,उ0प्र0 शासन ।
4. जिलाधिकारी, झांसी ।
5. श्री रवि शर्मा, मा0 विधायक, झांसी नगर ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उपसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in